4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/एल०–210/2026– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा0 सुनीता सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, इस्माईलपुर, भागलपुर द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक–02.08.2026 से 28.01.2027 तक कुल–180 (एक सौ अस्सी) दिन उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/एल०–210/2026– 2588(2)/स्वा०, **पटना, दिनांक** 29/10/**2026**

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, इस्माईलपुर, भागलपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा0 सुनीता सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, इस्माईलपुर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

27/10/26
सरकार के उप सचिव।
1